

फोन/Phone: 91-22-6656 4266

ई-मेल/Email: manager.hr@mumbaiport.gov.in

वेबसाइट/Website: www.mumbaiport.gov.in



मुंबई पोर्टन प्राधिकरण
Mumbai Port Authority



सामान्य प्रशासन विभाग

पोर्ट भवन, दूसरा माला

शूरजी वल्लभदास मार्ग, बेलाई इस्टेट,
मुंबई - 400 001.

General Administration
Department,

Port House, 2nd floor,
S.V. Marg, Ballard Estate,
MUMBAI - 400 001.

No. GAD/P/RECT-Sr.Dy. Manager (W)/ 3741

17th October 2025

Recruitment Notice

The Chairpersons
All Major Port Authorities

Sir/Madam,

Sub: Filling up the post of Sr. Dy. Manager (Welfare) in the pay scale of Rs. 80000-220000 by absorption through Composite Method in Mumbai Port Authority - Reg.

.....

1. The post of Sr. Dy. Manager (Welfare) in Mumbai Port Authority will fall vacant w.e.f. 1.4.2026. The post is to be filled by **absorption through composite method** from officers of Major Ports, fulfilling the eligibility criteria as mentioned at **Annexure I**.
2. The selection is by merit for which overall grading in the APARs should not be below "Very Good".
3. **Applications are invited from eligible and willing officers** of all the Major Port Authorities possessing the prescribed qualifications and experience as mentioned at **Annexure I**. The application shall be submitted through '**Online Application Portal (OAP)**' of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (website <http://onlinevacancy.shipmin.nic.in>) from **20.10.2025 to 18.11.2025** No application submitted other than OAP will be accepted.
4. The candidate has to submit the hard-copy of the application form uploaded in OAP to his administrative Port for onward forwarding to MbPA.
5. The administrative Ports are required to forward the applications of the candidates superscribing "**Application for the post of Sr. Dy. Manager (Welfare) in Mumbai Port Authority**" on or before 03.12.2025, along with the following documents:

(.....2)



सं.सा.प्र.वि/पी/भर्ती-व.उ. प्र.(क)/ 3741

17 अक्टूबर 2025

भर्ती सूचना

अध्यक्ष

सभी महापत्तन प्राधिकरण

महोदय/ महोदया,

विषय : मुंबई पत्तन प्राधिकरण में संयुक्त पद्धति से विलयन द्वारा रु. 80000-220000 के
वेतनमान में वरिष्ठ उप प्रबंधक (कल्याण) का पद को भरना-संबंधी.

1. मुंबई पत्तन प्राधिकरण में वरिष्ठ उप प्रबंधक (कल्याण) का पद दि. 1.4.2026 से रिक्त होगा. यह पद संयुक्त पद्धति से विलयन द्वारा महा पत्तन प्राधिकरणों से अधिकारियों का समावेश करके भरा जाना है, जिसके लिए आवश्यक पात्रता मानदंड **अनुलग्नक- I** में है.
2. चयन प्रक्रिया योग्यता के अनुसार होगी, जिसके लिए एपीएआर में समग्र ग्रेडिंग "वेरी गुड" से कम नहीं होनी चाहिए.
3. **अनुलग्नक- I** के अनुसार निर्धारित योग्यता, अनुभव के धारक सभी महा पत्तन प्राधिकरणों के पात्र और इच्छुक अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं. आवेदन **20.10.2025 से 18.11.2025** तक पत्तन, पोत परिवहन तथा जलमार्ग मंत्रालय (वेबसाईट <http://onlinevacancy.shipmin.nic.in>) के "**ऑनलाईन आवेदन पोर्टल (ओएपी)**" के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है. ओएपी के अलावा कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.
4. उम्मीदवार को ओएपी में अपलोड किए गए आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी अपने प्रशासनिक पोर्ट के पास मुं.प. प्रा. को अग्रेषित करने हेतु प्रस्तुत करना होगा.
5. प्रशासनिक पत्तनों को दिनांक **03.12.2025 को या उससे पहले** उम्मीदवारों के आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ लिफाफे में भरकर लिफाफे पर "**मुंबई पत्तन प्राधिकरण में वरिष्ठ उप प्रबंधक (कल्याण) के पद के लिए आवेदन**" इस प्रकार लिखकर अग्रेषित करने होंगे:

- (i) *certified copies of APARs for the last 5 years (2020-21 to 2024-25), duly attested by an officer not below the rank of Dy. HOD on each of the pages;*
- (ii) *a statement showing year-wise availability of APARs and grading duly signed by the HoD/Secretary. If APAR for a particular year during the last 5 years is not available, "No Report Certificate" may be furnished, **along with APARs of the preceding years;***
- (iii) *Attested photocopies of all certificates and proof of educational qualification, present and past work experience in the respective post and pay scale.*
- (iv) *No objection certificate from the respective Port.*
- (v) *Undertaking of the applicant that he will not withdraw his candidature, if selected by Services Selection Committee;*
- (vi) *Administrative clearance of the concerned port (**Annexure II**)*
- (vii) *Vigilance report is to be furnished in the prescribed format (**Annexure III**).*
- (viii) *If any major or minor penalty has been imposed on the applicant during the last 10 years, the disciplinary case leading to such penalty along with necessary documents may be sent along with the application.*

6. As per the Ministry's circular No. A-29018/4/2081/PE-I dated 11.8.2021, in case of receipt of advance copy of application from any candidate, his candidature will not be considered **if his application is not received through proper channel from the Port within 15 days** of the last date of receipt of applications. Therefore, Major Ports are requested to forward the applications with complete set of enclosures on or before **03.12.2025**. **Applications received after 03.12.2025 will not be considered.**

7. While forwarding the application, the Major Ports are to enclose all relevant documents at a time. No piecemeal/part forwarding will be considered.

8. The crucial date for eligibility criteria will be the date of arising of vacancy, i.e. **1.4.2026** in terms of Ministry of Ports, Shipping and Waterways' circular No. A-29018/4/2081/PE-I dated 11.8.2021.

(.....3)

- (i) पिछले 5 वर्षों की (2020-21 से 2024-25 तक) वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों की प्रमाणित प्रतियाँ, उप विभागप्रमुख स्तर के अधिकारी द्वारा हर एक पन्ने पर विधिवत प्रमाणित करके;
- (ii) वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों की वर्षवार उपलब्धता तथा श्रेणीकरण दर्शानेवाला विवरण विभाग प्रमुख/सचिव द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो. पिछले पाँच वर्षों में से यदि किसी विशिष्ट वर्ष/अवधि की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट उपलब्ध न हो, तो उसके बारे में "रिपोर्ट नहीं है प्रमाणपत्र" **पूर्ववर्ती वर्षों के वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों के साथ** प्रस्तुत किया जाए;
- (iii) संबंधित पद एवं वेतनमान के लिए सभी प्रमाणपत्रों की सत्यापित फोटोकॉपीयाँ तथा शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र और वर्तमान तथा पिछले कार्य का अनुभव प्रमाणित करना आवश्यक है.
- (iv) संबंधित पोर्ट द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र.
- (v) आवेदक को इस आशय का प्रतिज्ञापत्र देना होगा कि यदि सेवा चयन समिति द्वारा चयन किया गया, तो उम्मीदवारी वापस नहीं ली जाएगी, तथा
- (vi) संबंधित पोर्ट की प्रशासनिक अनापत्ति (**अनुलग्नक II**);
- (vii) निर्धारित प्रपत्र में सतर्कता रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए (**अनुलग्नक III**)
- (viii) यदि पिछले 10 वर्षों के दौरान आवेदक पर कोई बड़ा या मामूली दण्ड लगाया गया हो, तो ऐसे दण्ड की और ले जानेवाली अनुशासनिक मामले के साथ आवश्यक कागजात भी आवेदन के साथ भेजा जाए.

6. पोर्ट द्वारा किसी भी आवेदक के संबंध में आवेदन की अग्रिम प्रति प्राप्त होने के मामले में मंत्रालय के दिनांक 11.8.2021 के परिपत्र सं. ए. 29018/4/2081/ पीई-1 के अनुसार यदि उसका आवेदन पोर्ट द्वारा उचित माध्यम से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के 15 दिनों के भीतर तक प्राप्त नहीं हुआ तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा. अतः महापत्तनों से अनुरोध है कि वे **03.12.2025** को या उससे पहले संलग्नकों के पूरे सेट के साथ आवेदनों को अग्रेषित करें. **03.12.2025 के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा.**

7. आवेदन को अग्रेषित करते समय, महापत्तनों को सभी संगत कागजातों को एक ही समय में संलग्न करके भेजना होगा. कोई भी आधे-अधूरे/अंश भाग के अग्रेषण पर विचार नहीं किया जाएगा.

8. पत्तन, पोत परिवहन तथा जलमार्ग मंत्रालय के दिनांक 11.8.2021 की पत्र सं.ए-29018/4/2081/पीई-1 के संदर्भ में पात्रता मानदण्ड के लिए निर्णायक तिथि **1.4.2026** होगी.

9. As per the Ministry's guidelines dated 11.8.2021 regarding filling up the Dy. HoD level posts in Major Port Authorities, Port official who withdraws his candidature for the post after his selection by the Services Selection Committee, will be liable for debarment from future selection to Dy. HoD level posts in all Major Port Authorities for a period of two years.

10. Incomplete applications or applications received after due date will not be considered.

Yours faithfully,

Encl: As above

sd/-
(Smt. C. Premakumari)
MANAGER (HR)
MUMBAI PORT AUTHORITY

No. GAD/P/RECT-Sr.Dy. Manager (W)/ 3742

✓ Copy, alongwith accompaniments forwarded to the Secretary to the Government of India, Ministry of Ports, Shipping & Waterways for information. Soft copy of the circular is already forwarded on e-mail address: pravin.s@nic.in and web-ship@gov.in.

(Kind Attn: Shri P.K. Roy, Director, PHRD)

(Ref: Your letter Nos. F.No.I-26/9/2013-PE-I dated 17.6.2014 & A-12023/12/2014-PE-I (pt) dated 19.1.2021)

DA: As above.
17th October, 2025.

(Smt. C. Premakumari)
MANAGER (HR)
MUMBAI PORT AUTHORITY

9. मंत्रालय के दिनांक 11.8.2021 के दिशानिर्देशों के अनुसार महा पत्तन प्राधिकरणों में उप विभाग प्रमुख स्तर के पदों को भरने के संबंध में, पोर्ट अधिकारी यदि सेवा चयन समिति द्वारा अपने चयन के बाद पद के लिए अपनी उम्मीदवारी वापस लेता है तो वह भविष्य में दो वर्षों के लिए सभी महा पत्तन प्राधिकरणों में उप विभाग प्रमुख स्तर के पदों के चयन के मामले में रोक के लिए उत्तरदायी होगा.

10. नियत तिथि के पश्चात या अपूर्ण आवेदनों का विचार नहीं किया जायेगा.

भवदीया,

Sd/-

(श्रीमती सी. प्रेमाकुमारी)

प्रबंधक(मा.सं.)

मुंबई पत्तन प्राधिकरण

संलग्न. यथोक्त.

अक्टूबर 2025

सं.सा.प्र.वि/पी/भर्ती-व.उ. प्र.(क)/ 3742

✓ प्रतिलिपि संलग्न दस्तावेजों के साथ सचिव, भारत सरकार, पत्तन, पोत परिवहन तथा जलमार्ग मंत्रालय को सूचनार्थ अग्रेषित. परिपत्रक की सॉफ्ट कॉपी पहले ही ई-मेल पता pravin.s@nic.in and web-ship@gov.in पर अग्रेषित की गई है.

(कृपया ध्यान दें: श्री पी. के. रॉय, निदेशक, पीएचआरडी)

(संदर्भ : आपका दिनांक 17.6.2014 का पत्र सं.एफ.सं.1-26/9/2013-पीई-1 और दिनांक 19.1.2021 का पत्र सं.ए-12023/12/2014-पीई -1)

संलग्न: यथोक्त

17 अक्टूबर 2025

(श्रीमती सी. प्रेमाकुमारी)

प्रबंधक(मा.सं.)

मुंबई पत्तन प्राधिकरण

Annexure I

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection post	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	Sr. Deputy Manager (Welfare)	1	Class-I	16000 400- 20800	Selection	42	<u>Essential:</u> (i) A degree from a recognised University. (ii) 12 years experience in executive cadre in the field of Personnel Management, Labour Welfare and Industrial Relations, etc. in an Industrial/Commercial/Govt. Undertaking. (iii) knowledge of Marathi <u>Desirable:-</u> (i) Post Graduate degree/diploma in Personnel Management/Industrial Relations/Social Work/Labour Welfare or allied subjects or degree in Law from a recognised University/Institution.	(a) No (b) Yes (c) No	N.A.	By absorption through composite method failing which By deputation from other Govt. organisations and failing both By direct recruitment	For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or the post of Dy. Welfare Officer or officers holding equivalent posts in the scale of pay of Rs.13000-18250 with 3 years regular service in the grade in a Major Port Trust or DY. WO or equivalent officer with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 7 years in the scale of pay of Rs.10750-16750 and Rs.13000-18250 in a Major Port Trust will be eligible. For deputation , officers holding analogous posts or holding posts of Dy. WO or equivalent posts in the scale of pay of Rs.13000-18250 in Govt./Semi Govt./PSUs or Autonomous Bodies with 3 years regular service in the grade will be eligible. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below "Very Good".	

क्र. स.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रुपये)	चयन या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएँ (ग) अनुभव पदोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू है	परिवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (सीधी भर्ती या पदोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/विलयन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में भर्ती किस श्रेणी से की जानी है	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.	वरिष्ठ उप प्रबंधक (कल्याण)	1	श्रेणी - I	16000-400-20800	चयन	42 वर्ष	अनिवार्य : i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पदवी ii) किसी औद्योगिक/ व्यापारिक/सरकारी उपक्रम में कार्मिक प्रबंधन श्रम कल्याण और औद्योगिक संबंध आदि क्षेत्र में कार्यकारी संवर्ग पद पर 12 वर्ष का अनुभव. iii) मराठी का ज्ञान वांछनीय : i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से कार्मिक प्रबंधन/औद्योगिक संबंध/श्रम कल्याण/अथवा संबंध विषयों में स्नातकोत्तर पदवी/पदविका अथवा कानूनी पदवी.	क) नहीं ख) हाँ ग) नहीं	लागू नहीं	संयुक्त पद्धति द्वारा विलयन से अन्यथा अन्य सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों नहीं होने पर सीधी भर्ती द्वारा	संयुक्त पद्धतिद्वारा महापत्तन न्यासों में तत्समान पद धारण करनेवाले अधिकारी अथवा उप क.अ. अथवा 13000-18250 रुपये के वेतनमान पर 3 वर्ष से नियमित सेवा कर रहे अधिकारी अथवा उसी वेतनमान में 2 वर्ष से नियमित सेवा कर रहे उप क.अ. अथवा समकक्ष अधिकारी और महा पत्तन न्यासों में 10750-16750 रुपये के वेतनमान में और 13000-18250 रुपये के वेतनमान पर संयुक्त स्तर से 7 वर्ष से नियमित सेवा कर रहे अधिकारी विलयन के लिये योग्य होंगे. सरकारी/अर्धसरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों अथवा स्वायत्त निकायों में तत्समान पद धारण करने वाले अधिकारी अथवा उप कल्याण अधिकारी अथवा 13000-18250 रुपये के वेतनमान पर 3 वर्ष से नियमित सेवा कर रहे अधिकारी प्रति नियुक्ति के योग्य है. योग्यता द्वारा चयन होने पर वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में बेंचमार्क की संपूर्ण ग्रेडिंग "बहुत अच्छा" होना चाहिए.	

ANNEXURE II

Certificate to be given by Head of Department of

Shri/Smt. _____

Designation _____

1. It is certified that the particulars furnished by the officer are correct.
2. It is certified that no disciplinary/vigilance case is pending or contemplated against the applicant and he/she is clear from Vigilance and Administrative angle.
3. His/ Her integrity is certified.
4. It is certified that no major/minor penalties have been imposed on the applicant during the last 10 years. If any, kindly indicate details thereof.
5. Attested copies of ACRs/APARs for the last five years (1.4.2020 to 31.3.2025) are enclosed.
6. It is certified that the incumbent meets the requisite eligibility criteria w.r.t. educational qualification and experience as specified in the Annexure I of the circular for absorption through composite method.

SIGNATURE OF THE
HEAD OF DEPARTMENT WITH SEAL

विभाग प्रमुख द्वारा दिया जानेवाला प्रमाणपत्र

श्री/श्रीमती -----

पद -----

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी द्वारा प्रस्तुत विवरण सही है.
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/सतर्कता का मामला लंबित या विचाराधीन नहीं है और वे/वह सतर्कता और प्रशासनिक दृष्टिकोण से निर्दोष है.
3. उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है.
4. यह प्रमाणित है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान आवेदक पर कोई बड़ा/मामूली दण्ड नहीं लगाया गया है. यदि कोई हो तो कृपया उसका विवरण दें.
5. पिछले पांच वर्षों (1.4.2020 से 31.3.2025) के लिए एसीआर की सत्यापित प्रतियाँ संलग्न हैं.
6. यह प्रमाणित है कि पदग्राही समग्र योग्यता के माध्यम से मिश्रित पद्धति से भर्ती के परिपत्रक के अनुलग्नक -I में निर्दिष्ट शैक्षणिक योग्यता और अनुभव आदि अपेक्षित पात्रता मानदण्डों को पूरा करता है.

विभाग प्रमुख का हस्ताक्षर मोहर (सील) के साथ

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट
MUMBAI PORT TRUST

Particulars of the officer for whom Vigilance Comments/Status has been sought

1	Name of Officer (in full)	:	
2	Father's name	:	
3	Date of Birth	:	
4	Date of Retirement	:	
5	Date of entry into service	:	
6	Service to which the officer belongs wherever applicable	:	
7	Revised Payscale	:	
8	Whether Annual Property Return (APR) has been submitted in time	:	Yes / No
9	Date of submission of APR	:	

10 Positions held (During the ten preceding years)

Sl. No.	Organization (Name in full)	Designation and Place of posting	Administrative/ Nodal Ministry/ Deptt.	From	To

11	Whether any punishment was awarded to the officer during the last 10 years and if so, the date of imposition and details of the penalty. (*)	:	
12	Is any disciplinary / criminal proceedings or Chargesheet pending against the officer as on date (If so, details to be furnished - including reference number if any of the commission)	:	
13	Is any action contemplated against the officer as on date (If so details to be furnished) (*)	:	
14	Whether any complaint with vigilance angle pending against the officer as on date (If yes, details to be furnished)	:	

Date:

(Signature of Head of Department)

15	Whether the officer has been placed on the "Agreed List" or "List of Officers of Doubtful Integrity". (If yes details to be given)	:	
16	Whether any allegation of misconduct involving vigilance angle was examined against the officer during the last 10 years and if so, with what result (*)	:	

The applied post being Selection post at the level of Head of Department, the officer is Clear/not clear from vigilance angle as per the guidelines of DoPT/CVC issued from time to time.

Date :

CHIEF VIGILANCE OFFICER

(*) If vigilance clearance had been obtained from the Ministry/CVC in the past, the information may be provided for the period thereafter.

मुंबई पत्तन प्राधिकरण MUMBAI PORT AUTHORITY

अधिकारी का विवरण, जिनके सतर्कता टिप्पणियाँ/स्थिति मांगी गई है.

1.	अधिकारी का नाम (संपूर्ण)	:	
2.	पिता का नाम	:	
3.	जन्म तिथि	:	
4.	सेवा निवृत्ति की तिथि	:	
5.	सेवा प्रवेश की तिथि	:	
6.	अधिकारी के सेवा से संबंधित वर्ग/वर्ष, संवर्ग आदि जो भी लागू है	:	
7.	संशोधित वेतनमान	:	
8.	क्या वार्षिक संपत्ति विवरणी (Annual Property Returns (APR) वक्त पर प्रस्तुत की है	:	हाँ/नहीं
9.	वार्षिक संपत्ति विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि	:	
10.	धारण किए गए पद (पिछले दस वर्षों के दौरान)	:	

अ.क्र.	संगठन (संपूर्ण नाम)	पदनाम एवं नियुक्ति का स्थान	संबंधित प्रशासनिक/प्रधान मंत्रालय/विभाग	द्वारा	तक

11.	क्या पिछले 10 वर्षों के दौरान अधिकारी को कोई सजा दी गई थी, और यदि हाँ, तो आरोप लगाने की तिथि और दण्ड का विवरण (*).	:	
12.	क्या आज की तिथि को अधिकारी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/आपराधिक कार्यवाही या चार्जशीट लंबित है (यदि हाँ, तो आयोग द्वारा यदि कोई संदर्भ संख्या तो तिथि के अनुसार दी गई हो उसके साथ विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए.)	:	
13.	क्या अधिकारी के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई की गई है (यदि हाँ, तो विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए.)	:	
14.	क्या सतर्कता की दृष्टि से अधिकारी के खिलाफ आज तक कोई शिकायत लंबित है (यदि हाँ, तो विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए.)	:	

तिथि :

(विभाग प्रमुख के हस्ताक्षर)

15.	यदि अधिकारी को "सहमत सूची" अथवा "संदिग्ध इमानदारी के अधिकारियों की सूची" पर रखा गया (यदि हाँ, तो विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए)	:	
16.	यदि सतर्कता की दृष्टि से पिछले 10 वर्षों में अधिकारी के खिलाफ दुराचार का आरोप की जाँच की गयी थी, यदि हाँ तो उसका परिणाम क्या है. (*)	:	

आवेदित पद विभाग प्रमुख के स्तर का चयन पद होने के कारण, उक्त अधिकारी, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग/ केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार, सतर्कता दृष्टि से निर्बाध है/ निर्बाध नहीं है.

तिथि :

(मुख्य सतर्कता अधिकारी)

(*) यदि अतीत में मंत्रालय/सीवीसी से सतर्कता मंजूरी प्राप्त की गई थी तो उसके बाद की अवधि के लिए जानकारी प्रदान की जा सकती है.